लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक

लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक हाल ही में संसद में पारित किया गया. लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक, 2011 में, कतिपय सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच करने के लिए केन्द्र के लिए लोकपाल तथा राज्यों के लिए लोकायुक्त निकाय का गठन करने का प्रावधान है. लोकपाल में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम 8 सदस्य होंगे, जिनमें से आधे सदस्य न्यायिक सदस्य होंगे. विधेयक में, केन्द्र में लोकपाल तथा राज्य स्तर पर लोकायुक्त संस्था स्थापित करने एवं केन्द्र में तथा राज्यों में एक समान सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था करने का प्रावधान है.

लोकपाल के अध्यक्ष तथा सदस्यों का चयन प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित वर्तमान उच्चतम न्यायालय जज, चयन समिति के प्रथम चार सदस्यों की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत प्रख्यात विधिशास्त्री वाली एक चयन-समिति के माध्यम से किया जाएगा.

लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, सार्वजनिक आदेश, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों एवं जब तक लोकपाल की पूर्णपीठ तथा दो-तिहाई सदस्य किसी जांच का अनुमोदन न करें. प्रधानमंत्री शामिल होंगे. यह जांच कैमरा में की जाएगी एवं लोकपाल यदि ऐसा चाहे तो जांच के रिकॉर्ड प्रकाशित या किसी को भी उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे. लोकपाल के दायरे में, संसद में कहे गए किसी मामले या वहां दिए गए वोट के मामले को छोड़ कर मंत्री तथा संसद सदस्य भी आएंगे.

सभी श्रेणियों के सरकारी कर्मचारी भी लोकपाल के दायरे में आएंगे. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत इस रूप में परिभाषित समूह क, ख, ग या घ अधिकारी लोकपाल के दायरे में आएंगे किंतु समूह क एवं ख अधिकारियों के विरुद्ध कोई भ्रष्टाचार की शिकायत, जांच के बाद, लोकपाल को आएगी, तथापि समूह ग एवं घ अधिकारियों के मामले में, मुख्य सतर्कता आयुक्त जांच करेंगे और लोकपाल को रिपोर्ट करेंगे. ईमानदार तथा सच्चे सरकारी कर्मचारियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी.

सीबीआई के अधीन एक निदेशक की अध्यक्षता में एक अभियोजन निदेशालय होगा. सीबीआई निदेशक की प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश वाली समिति द्वारा नियुक्त किया जाएगा. अभियोजन निदेशक केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा.

यदि लोकपाल किसी शिकायत पर कार्रवाई करने का निर्णय लेता है तो वह यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है तो किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अपने जांच स्कंध या सीबीआई सहित किसी एजेंसी द्वारा प्रारंभिक जांच के आदेश दे सकता है. सरकारी कर्मचारी को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा.

लोकपाल को, उसके द्वारा सीबीआई को भेजे गए मामलों पर निगरानी की शक्ति होगी. लोकपाल द्वारा भेजे गए मामले की जांच करने वाले सीबीआई के किसी अधिकारी को लोकपाल के अनुमोदन के बिना स्थानांतरित नहीं किया जाएगा. लोकपाल द्वारा सीबीआई जांच के लिए उसे भेजे गए मामलों का निधियन केन्द्र करेगा.

विधेयक में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम आठ सदस्यों वाले लोकपाल का प्रावधान है, जिसमें 50 प्रतिशत न्यायिक सदस्य तथा शेष सदस्य अजा, अजजा, अपिव अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं में से होंगे. जांच स्कंध के अतिरिक्त लोकपाल का एक स्वतंत्र अभियोजन स्कंध भी होगा.

विधेयक में, किसी अभियोजन के लंबित रहने पर भी, भ्रष्टता या बेईमानी द्वारा अर्जित की गई किसी सम्पत्ति की कुर्की एवं जब्त करने के प्रावधान शामिल हैं. इसमें प्रारंभिक पूछताछ एवं जांच तथा सजा के लिए समय-सीमा स्पष्ट है और इस संबंध में विधेयक में विशेष न्यायालय की स्थापना करने का प्रावधान है. विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के संदर्भ में विदेशी संसाधनों से प्रति वर्ष दस लाख रुपए से अधिक चंदा प्राप्त करने वाले तत्व लोकपाल के दायरे में लाए गए हैं. लोकपाल का कार्य-काल 5 वर्ष या अध्यक्ष तथा सदस्यों के 75 वर्ष की आयु का होने तक के लिए होगा. नागरिक अधिकार तथा न्यायिक दायित्व पर पृथक कानून होंगे.